न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 03/2021
तारीख दायर : 22.01.2021

अनवान

1. मनोहरसिंह पिता गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी सारण का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. मांगी पत्नि हरदेव जाति धाकड़ निवासी गणेशपुरा तहसील माण्डलगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

अप्रार्थी

उपस्थित :–

1. श्री गिरधारी लाल आचार्य (अधिवक्ता प्रार्थी)।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 09.11.2021

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम सारण का खेडा से गणेशपुरा तक आम रास्ते से पहुंचता है उसके पश्चात गणेशपुरा के बाद नहर के सहारे विपक्षी संख्या एक की खातेदारी में दर्ज भूमि आराजी संख्या 416/1 की उत्तरी दिशा तक पहुंचता है। जहा आराजी संख्या 416/1 के उत्तरी पूर्वी कोने से प्रवेश कर आराजी संख्या 416/1 की पूर्वी मेर तक पहुंचता है। जहा से पूर्वी मेर के सहारे सहारे प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि आराजी संख्या 3646/59 की उत्तरी मेर से अपनी खातेदारी व कब्जे की भूमि आराजी संख्या 3646/59 में प्रवेश कर जाता है। यह रास्ता प्रार्थी के सदैव उपयोग में आने वाला 15 फीट चौड़ा रास्ता है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है न कभी रहा है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता 12 महिने उपयोग में आता है। प्रार्थी द्वारा केवल सुविधाजनक उपयोग हेतु नया रास्ता नहीं मांगा जा रहा है। रास्ते के अभाव में प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर आ जा नही सकेगा एवं अपनी खातेदारी भूमि का काश्त उपयोग से वचित हो जायगा। प्रार्थी रास्ते के लिए विपक्षी की खातेदारी भूमि उपयोग मे लिये जाने हेतु मुआवजा राशि भुगतान हेतु तैयार है। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक विपक्षी सख्या 1 की खातेदारी में दर्ज भूमि 416/1 की पूर्वी मेर पर 15 फीट चौड़ा रास्ता कायम करने का आदेश प्रदान करावे।

बाद जांच प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र भेज कर तलब किया गया। विपक्षी मांगी पत्नि हरदेव धाकड़ द्वारा नोटिस तामिल लेने से मना किया।

दिनांक 21.09.2021 को तहसीलदार माण्डलगढ़ के पत्र क्रमांक भु.अ./2021/2049 दिनांक 15.09.2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रार्थी मनोहरसिंह पिता गोविन्दसिंह राजपूत निवासी सारण का खेडा की खातेदारी भूमि ग्राम मानपुरा पटवार मण्डल मानपुरा की आराजी नम्बर 3646/59 रकबा 0.4937 हैक्टेयर पर पहुंचने हेतु अप्रार्थी मांगीदेवी पत्नी हरदेव धाकड निवासी गणेशपुरा ग्राम गणेशपुरा की आराजी नम्बर 416/1 मे 15 फीट चोडे रास्ते हेतु मांग करते हुए आवेदन किया है। प्रार्थी की मानपुरा की

Scanned with CamScanner

आराजी नम्बर 3646/59 रकबा 0.4937 हैक्टेयर में पहुंचने के लिये अप्रार्थी मांगीदेवी पत्नी हरदेव धाकड निवासी गणेशपुरा की आराजी नम्बर 416/1 में 15 फीट चोडे रास्ते हेतु मांगा गया है। उक्त आराजी नम्बर मानपुरा व गणेशपुरा की सीमा पर स्थित है व ग्राम गणेशपुरा की आराजी नम्बर 415 बिलानाम गेमु. रास्ता से मिली हुई है। भूमि पर पहुंचने के लिये प्रार्थी द्वारा मागा गया रास्ते में अप्रार्थी की आराजी नम्बर 416/1 में से 15 फीट चौडा रास्ता देने पर अप्रार्थी की आराजी संख्या 3722/416 आ.च. व 416/1 के मध्य में दिया जाना संभव है। प्रस्तावित रास्ता हेतु आ.न. 416/1 मे से 0.0808 हैक्टेयर भूमि रास्ता उपयोग में प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार 10 बिस्वा भूमि का उपयोग प्रस्तावित रास्ता के लिये होगा जिसकी सिंचित भूमि की डी.एल.सी. 103089 रुपया प्रति बीघा से 51545 रुपया दुगनी से 103090 रुपया भूमि का बनता है। नोट पक्षकारान को जरिये सूचना पत्र के सूचित किया गया। प्रार्थी व अपार्थी की ओर से उसके पुत्र गोपाल व मनोज उपस्थित हस्ताक्षर करवाये गये।

दिनांक 09.11.2021 को पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प मानपुरा में पेश हुई। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 दिनांक 21.09.2021 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए मौके पर व राजस्व रिकॉर्ड में अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। विपक्षी की आराजी नम्बर 416/1 में से 0.0808 हैक्टैयर भूमि रास्ते के उपयोग हेतु ली जावेगी। रास्ते हेतु 0.0808 हैक्टेयर भूमि का उपयोग होगा जिसकी डी.एल.सी. दर 103089 रुपया प्रति बीघा से 51545 रुपया दुगनी से 103090 रुपया है, जो सम्पूर्ण विपक्षी मांगी पत्नि हरदेव धाकड़ की है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः राजस्थान कास्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए (क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं संशोधित अधिसूचना नम्बर F3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70 (1)(।।) () के अनुसरण में ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का मानपुरा में स्थित भूमि खाता संख्या 149 की आराजी संख्या 1911/2 रकबा 0.1052 हैक्टेयर पर पंहूचने हेतु अप्रार्थी राजस्थान सरकार की ग्राम मानपुरा पटवार हल्का मानपुरा की आराजी संख्या 416/1 में से 0.0808 हैक्टैयर की पूर्वी मेर पर 15 फीट रास्ता हेतु उक्त भूमि की डी.एल.सी. दर 103089 रुपया प्रति बीघा से 51545 रुपया दुगनी से 103090 रुपया प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को अदा किये जाने पर एवं अप्रार्थीगण द्वारा इन्कार किये जाने की स्थिति में राजकोष में मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा करवाने पर गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता रहेगा। तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन करावें।

आदेश आज दिनांक 09.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner